



2976
0.3600E

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460501048
वाद संख्या:- 1048/2026
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम शिव प्रसाद
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 09/03/2026

प्रस्तुत वाद लेखपाल हस्तान्तरण रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमें विक्रय पत्र दिनांक 02.12.2025 आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इशतहार जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। लिखित साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान संलग्न पत्रावली है। लेखपाल के बयान से स्पष्ट है कि भूमि का सम्बन्ध सीलिंग, भूदान, ग्राम समाज की नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। यह विक्रय विलेख उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1426 से 1431 फसली के खाता संख्या 00822 गाटा संख्या 1211 रकबा 0.3160 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1053 हे० व खाता संख्या 00824 गाटा संख्या 2976 रकबा 0.3600 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1800 हे० व खाता संख्या 00821 गाटा संख्या 1228 रकबा 0.1450 हे०, सम्पूर्ण अंश, कुल रकबा 0.8210 हे० में से विक्रीत रकबा 0.4303 हे० अपना सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से विक्रेता श्री शिव प्रसाद पुत्र दिर्गपाल निवासी-विशेश्वर खेड़ा, दोना, लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत-वरुण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण गौमती नगर, लखनऊ, उ०प्र० का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 02.12.2025 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



2976/036000

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज (पी-2)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- जितेंद्र कुमार शर्मा
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2026104618559
वाद संख्या:- 18559/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम राजेश
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 05/06/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम- दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425-1430 फसली के खाता संख्या 00218 की खसरा सं० 664 का कुल रकबा ०.1390 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0139 हे०, खसरा सं० 2368 का कुल रकबा 0.2400 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0240 हे०, खसरा सं० 2535 का कुल रकबा 0.0130 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0013 हे०, सासरा सं० 2540 का कुल रकबा 0.7500 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0750 हे०, खसरा सं० 2759 का कुल रकबा 0.1390 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0139 हे०, खसरा सं० 2760 का कुल रकबा 0.1900 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0190 हे०, खसरा सं० 2761 का कुल रकबा 0.038080 में से विक्रीत रकबा 0.0038 हे०, खसरा सं० 2762 का कुल रकबा 0.1390 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0139 हे०, खसरा सं० 2763 का कुल रकबा 0.0630 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0063 हे०, खसरा सं० 2813 का कुल रकबा 0.3790 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0379 हे०, खसरा सं० 2818 का कुल रकबा 0.1770 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0177 हे०, खसरा सं० 2971 का कुल रकबा 0.3350 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0335 हे०, खसरा सं० 2966 का कुल रकबा 0.0760 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0076 हे०, खसरा सं० 2526 का कुल रकबा 0.01900 में से विक्रीत रकबा 0.0009 हैं० सासरा सं० 2976 का कुल रकबा 0.3600 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0600 हे०, कुल रकबा 3.0570 हे० में से विक्रीत रकबा 0.3287 हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण मांग मांगुं 60ख से विक्रेता श्री राजेश कुमार पुत्र हगपाल निवासी विशेषश्वर खेडा दोना लखनऊ: उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनातगत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ नाम जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2026 सं०भू० अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली, दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर (पी-2)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- शालिनी तिवारी
मण्डल :लखनऊ, जनपद :लखनऊ, तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460514221
वाद संख्या:- 14221/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम राम भरोसे
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 02/06/2026

ग्राम- दोना, परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ की खतौनी सन् 1426-1431 फ0 की गाटा सं0 2526 रकबा 0.0190हे0 में से विक्रित रकबा 0.0006हे0 व गाटा सं0 2760 रकबा 0.1900हे0 में से विक्रित रकबा 0.0190हे0 व गाटा सं0 2759 रकबा 0.1390 में से विक्रित रकबा 0.0139 व गाटा सं0 2761 रकबा 0.0380हे0 में से विक्रित रकबा 0.0038हे0 व गाटा सं0 2762 रकबा 0.1390हे0 में से विक्रित रकबा 0.0139 हे0 व गाटा सं0 2763 रकबा 0.0630हे0 में से विक्रित रकबा 0.0063 व गाटा सं0 2818 रकबा 0.1770हे0 में से विक्रित रकबा 0.0177हे0 व गाटा सं0 2966 रकबा 0.0760 हे0 में से विक्रित रकबा 0.0076 व गाटा सं0 2971 रकबा 0.3350 में से विक्रित रकबा 0.0335हे0 व गाटा सं0 2976 रकबा 0.3600हे0 में से विक्रित रकबा 0.0600हे0 कुल रकबा 1.5360हे0 में से विक्रित रकबा 0.1763हे0 अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मांगु 60ख से विक्रेता श्री राम भरोसे पुत्र दिगपाल निवासी विशेषर खेडा दोना काकोरी लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र दिनांक 02.04.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

क्रमांक संख्या :- 5766

विक्रय मूल्य :- 49,36,400/

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"